संशोधित स्मृति–पत्र

1	संस्था का नाम	:	एस0 आई0 टी0 एजुकेशनल सोसायटी,
2.	संस्था का पूरा पता	:	मौहल्ला– सेठान, तह0– सरधना, जनपद– मेरठ।
3	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था के उददेश्य	:	सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 धारा के अनुसार निम्नवत है।

उद्देश्य :–

1 समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

2 असहाय बच्चों के शैक्षिणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

3 पिछड़े हुए युवाजनों के लिए बौद्धिक विकास के लिये पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना।

4 कुष्ठ तथा अपाहिज, विकलांग एवं संक्रामक रोगो से ग्रस्त निराश्रित निःसहाय लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करना।

5 निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय स्थल, नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना, महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना व उनका संचालन करना।

6 जाति धर्म, और भाषा के आधार पर उत्पन्न हुए द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर करना राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।

7 देश–विदेश एवं प्रदेश की सम–उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

8 सामूहिक कार्यों द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना, श्रमदान, ग्रामों की सफाई जैसे कार्य सामूहिक रूप से कराना

9 नर्सरी से लेकर उच्चकोनोत्तर तक शिक्षा प्रदान करना।

10 जैन धर्म एवं जैन संस्कृति की उच्च शिक्षाओं एवं उद्देश्यों का प्रचार एवं प्रसार करना तथा धार्मिक उत्सव कराना।

11 बालक तथा बालिकाओं के लिये प्राइमरी आध्यात्मिक स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की लौकिक वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, साहित्यिक एवं धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

12 जैन धर्म एवं जैन संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना तथा जैन व जैनोत्तर एवं अल्पसंख्यको के हित के लिये धार्मिक एवं लौकिक कॉलेजो एवं विभिन्न व्यवसायिक, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना।

13 जैन साहित्य, जैन कला तथा जैन संस्कृति की खोज करना, तथा शोध संस्थान एवं अतिथि भवन की स्थापना करना।

हस्ताक्षर–

Shalini Jain   Nyreen Jain

Ashok Kumar Jain   Kalpna Jain

सत्य प्रतिलिपि

~~कोo मo आo~~/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-25

संशोधित नियमावली

1	संस्था का नाम	:	एस0 आई0 टी0 एजुकेशनल सोसायटी,
2.	संस्था का पूरा पता	:	मौहल्ला– सेठान, तह0– सरधना, जनपद– मेरठ।
3	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था के उददेश्य	:	संस्था के उद्देश्य स्मृति–पत्र के अनुसार ही सीमित होगें।
5.	सदस्यता के वर्ग	:	(1) आजीवन सदस्य, (2) साधारण सदस्य

1. आजीवन सदस्यः–

कोई भी व्यक्ति रुपये 1100/– या अधिक दान में देकर संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है, जो संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

2. साधारण सदस्यः–

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। वह संस्था को 500/– रुपये नकद देकर या अधिक दान में देकर संस्था की साधारण सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है।

विशेषः– 1. वर्तमान में सभी सदस्य जैन है तथा भविष्य में केवल जैन ही संस्था का सदस्य बन सकता है।
2. जैन धर्म में आस्था रखने वाला ही संस्था का सदस्य बन सकता है।
3 सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढायी जा सकती है।

6. संस्था की सदस्यता से पृथकीकरण :

अ– सदस्य द्वारा स्वयं त्याग–पत्र दिये जाने पर।
ब– सदस्य की मृत्यु होने पर।
स– सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम पाये जाने पर।
द– सदस्य द्वारा स्वयं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
य– सदस्यता शुल्क समय पर न अदा करने पर।
र– न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने अथवा दिवालिया होने पर।
ल– आचरण भ्रष्ट होने व पागल होने पर।

Sherlini Jain   Mpeen Jain

Ashok Kumar Jain   Kalpna Jain

सत्य प्रतिलिपि
~~फो० म० आ०~~ / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-25

Scanned with OKEN Scanner

7. **संस्था के अंग :**

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति
3.

8— **साधारण सभा का विस्तृत रूप :**

1 **गठन :**

संस्था के सभी आजीवन एवं सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

4. **बैठक :**

संस्था की साधारण सभा की सदस्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी–भी अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है।

5. **सूचना :**

संस्था की सामान्य बैठक के लिये सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 3 दिन पूर्व डाक अथवा स्पेशल मैसेन्जर अथवा दस्ती अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा दी जायेगी।

6. **गणपूर्ति :**

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष सुविधानुसार हुआ करेगा।

6 **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :**

अ– प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
ब– रिक्त स्थान की पूर्ति करना।
स– नियमों–विनियमों में परिवर्तन करना।
द– आय–व्यय बजट पास करना।
य– संस्था की उन्नति में कार्य करना।

9— **प्रबन्धकारिणी का विस्तृत रूप :**

1. **गठन :**

प्रत्येक वर्ष माह फरवरी के अन्त तक साधारण सभा द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा।

2. **बैठक :**

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष और सचिव/प्रबन्धक के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती हैं।

Sheelini Jain

सत्य प्रतिलिपि

Praveen Jain

~~फो० म० आ०~~/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-25

Kalpna Jain

Ashok Kumar Jain

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
सत्यमेव जयते
मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०)

Scanned with OKEN Scanner

3. **सूचना :**
सामान्य बैठक के लिये सूचना 15 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिय सूचना 24 घण्टे पूर्व स्पेशल मैसेन्जर अथवा दस्ती सचिव/प्रबन्धक द्वारा दी जायेगी।

4. **कोरम :**
कुल संख्या का 2/3 होगा।

5. **कार्यकाल :**
गठन की तिथि से पाँच वर्ष होगा।

6. **रिक्त स्थान की पूर्ति :**
शेष समय के लिए साधारण सभा से कर ली जायेगी।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

7. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :**
क– संस्था का प्रबन्ध संचालन करना।
ख– आय–व्यय बजट तैयार कर साधारण सभा द्वारा पास कराना।
ग– अन्य के समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हो।

10– **प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीगण :**

1.	अध्यक्ष	–	एक
2.	उपाध्यक्ष	–	एक
3.	सचिव/प्रबन्धक	–	एक
4.	उप–सचिव/उप–प्रबन्धक	–	एक
5.	कोषाध्यक्ष	–	एक
6.	सदस्यगण	–	छः

नोट : सदस्यों की संख्या भविष्य में कभी भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

11– **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :**

(1) **अध्यक्ष –**
1. समिति की आम सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समिति के हित का कार्य भी प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा करना।
3. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
4. अध्यक्ष अपने विवेक से 1000/– रुपये व्यय करने की स्वीकृति देने का अधिकारी होगा।

(2) **उपाध्यक्ष :**
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वे समस्त कार्य करना जो अध्यक्ष को निहित होते है

सत्य प्रतिलिपि
Shalini Jain
~~फो० म० आ०~~/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-25
Nupur Jain
Ashok Kumar Jain
Kalpna Jain

Scanned with OKEN Scanner

(3) **सचिव/प्रबन्धक :**

1. आम सभा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना।
2. समिति से होने वाले पत्र व्यवहार को करना।
3. संस्था के आय–व्यय की स्वीकृति हेतु आम सभा के समक्ष रखना।
4. संस्था के समस्त लेखों पर हस्ताक्षर करना और प्रमाणित करना।
5. समिति द्वारा किये गये कार्यो का संचालन करना।
6. आम सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलाना और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखना।

(4) **उप–सचिव/उप–प्रबन्धक :**

1. सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में कार्य देखना एवं आवश्यकतानुसार सचिव/प्रबन्धक के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट कार्य को सम्पन्न करायेंगे।

(5) **कोषाध्यक्ष :**

1. संस्था के कोष का संचालन करना और आम सभा द्वारा बनाये गये नियमों, उपनियमों का पालन करना।
2. सचिव/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत हिसाब–किताब तथा प्राप्त रिपोर्ट बजट स्वीकार करना।
3. संस्था के हित के लिय योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

12– संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम कोषाध्यक्ष और सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खोला जायेगा जिसकी जमा करने एवं व्यय करने का अधिकार सचिव/प्रबन्धक एवं कोषध्यक्ष को संयुक्त हस्ताक्षरों से होगां

13– कानूनी कार्यवाही :

संस्था के समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव/प्रबन्धक के संचालन में अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा होगी।

Shalini Jain

Hiren Jain

Ashok Kumar Jain

Kalpna Jain

सत्य प्रतिलिपि

कोठ म० आ०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-25

सत्यमेव जयते
डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०)

Scanned with OKEN Scanner

14– **आय–व्यय का परीक्षण या ऑडिट :**
संस्था का आय–व्यय का वार्षिक ऑडिट मनोनीत सदस्य द्वारा कराया गया ऑडिट ही मान्य होगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

15– **नियमों में परिवर्तन :**
नियमावली संशोधन परिवर्तन का अधिकार केवल साधारण सभा के 2/3 के बहुमत से होगा, नियमावली की बैठक की गणपूर्ति 2/3 की अनिवार्य है।

16– **संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति :**
राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार, सरकारी, गैर–सरकारी विभागों एवं संस्थाओ तथा बैंको से दान, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना तथा भूमि–भवन आदि क्रय करना, किराये पर लेना।

17– **संस्था के अभिलेख :**
सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश–बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

18– **संस्था का विघटन :**
संस्था का विघटन और विघटित और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13–14 के अन्तर्गत की जायेगी।

19– एस0 आई0 टी0 का अर्थ सरधना इन्स्टीटयूट से है।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक :
स्थान :

Shalini Jain   Nipun Jain

Ashok Kumar Jain   Kalpna Jain

सत्य प्रतिलिपि

फो० म० आ०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-2025

(मुहर: निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) — सत्यमेव जयते)

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00121/2020-2021

180

दिनांक 25/06/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

फर्म्स, सोसाइटीज़ तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते
UPME023493

नवीनीकरण संख्या:R/MEE/01432/2020-2021 पत्रावली संख्या:1-46211-M दिनांक:2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **एस0 आई0 टी0 एजूकेशनल सोसाइटी, टाउन हाल रोड, पशु अस्पताल के पीछे, सरधना, मेरठ, मेरठ , 250342** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 965 दिनांक-23/11/2004 को दिनांक-23/11/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
DA019A515850A2830762C302E344A248F77ACFAB
Date: 25/06/2020 4:18:50 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-25/06/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

सत्य प्रतिलिपि
~~फो० म० आ०~~/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
16-9-25

Scanned with OKEN Scanner